ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 87

ग्रामीण विकास विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	331820.80	...	331820.80	236541.48	3.52	236545.00	274065.82	3.64	274069.46	282562.05	4.14	282566.19
वसूलियां	*-154983.41*	*...*	*-154983.41*	*-79000.00*	*...*	*-79000.00*	*-103000.00*	*...*	*-103000.00*	*-105000.00*	*...*	*-105000.00*
प्राप्तियां	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
निवल	**176837.39**	**...**	**176837.39**	**157541.48**	**3.52**	**157545.00**	**171065.82**	**3.64**	**171069.46**	**177562.05**	**4.14**	**177566.19**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	85.60	...	85.60	60.50	3.52	64.02	93.26	3.64	96.90	101.54	4.14	105.68
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
2. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता एवं जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण	125.56	...	125.56	113.49	...	113.49	100.00	...	100.00	153.00	...	153.00
3. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान	75.80	...	75.80	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	**201.36**	**...**	**201.36**	**113.49**	**...**	**113.49**	**100.00**	**...**	**100.00**	**153.00**	**...**	**153.00**
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
4. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद	...	...	...	115.00	...	115.00	91.38	...	91.38	108.37	...	108.37
अन्य												
5. व्यय कटौती के फलस्वरूप समायोजित वसूलियां	-8.21	...	-8.21	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	**-8.21**	**...**	**-8.21**	**115.00**	**...**	**115.00**	**91.38**	**...**	**91.38**	**108.37**	**...**	**108.37**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम												
6. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)	6827.22	...	6827.22	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	458.52	...	458.52	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्यून पीएस)	2086.98	...	2086.98	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)	278.55	...	278.55	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	**9651.27**	**...**	**9651.27**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
10. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम												
10.01 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएवीएस)	...	...	...	6634.32	...	6634.32	6634.32	...	6634.32	6645.90	...	6645.90
10.02 राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	...	...	...	659.00	...	659.00	644.69	...	644.69	659.00	...	659.00
10.03 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूवीएस)	...	...	...	2026.99	...	2026.99	2026.99	...	2026.99	2026.99	...	2026.99
10.04 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना (आईजीएनडीवीएस)	...	...	...	290.00	...	290.00	290.00	...	290.00	290.00	...	290.00
10.05 अन्नपूर्णा योजना	...	...	...	10.01	...	10.01	...	...	...	10.00	...	10.00
10.06 प्रशासनिक व्यय	...	...	...	16.00	...	16.00	56.00	...	56.00	20.11	...	20.11
जोड़- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	*...*	*...*	*...*	*9636.32*	*...*	*9636.32*	*9652.00*	*...*	*9652.00*	*9652.00*	*...*	*9652.00*
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम												
11. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को अंतरण	90810.99	...	90810.99	60000.00	...	60000.00	86000.00	...	86000.00	86000.00	...	86000.00
12. मनरेगा- कार्यक्रम घटक	90805.92	...	90805.92	60000.00	...	60000.00	86000.00	...	86000.00	86000.00	...	86000.00
13. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरी की गई राशि	-90810.98	...	-90810.98	-60000.00	...	-60000.00	-86000.00	...	-86000.00	-86000.00	...	-86000.00
जोड़-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	**90805.93**	**...**	**90805.93**	**60000.00**	**...**	**60000.00**	**86000.00**	**...**	**86000.00**	**86000.00**	**...**	**86000.00**
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना												
14. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना												
14.01 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण	18992.51	...	18992.51	19000.00	...	19000.00	15000.00	...	15000.00	12000.00	...	12000.00
14.02 पीएमजीएसवाई- कार्यक्रम घटक	18354.95	...	18354.95	16100.00	...	16100.00	14800.00	...	14800.00	16600.00	...	16600.00
	-0.35	...	-0.35	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*18354.60*	*...*	*18354.60*	*16100.00*	*...*	*16100.00*	*14800.00*	*...*	*14800.00*	*16600.00*	*...*	*16600.00*
14.03 पीएमजीएसवाई- ईएपी घटक	9.41	...	9.41	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14.04 पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1900.00	...	1900.00	1700.00	...	1700.00	1900.00	...	1900.00
14.05 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों के लिए परियोजना	628.15	...	628.15	1000.00	...	1000.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00
14.06 केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से कम राशि प्राप्त की गई	-19201.64	...	-19201.64	-19000.00	...	-19000.00	-15000.00	...	-15000.00	-12000.00	...	-12000.00
14.07 कृषि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि को अंतरण	...	...	...	...	...	...	2000.00	...	2000.00	...	...	...
14.08 घटाएं- कृषि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि	...	...	...	...	...	...	-2000.00	...	-2000.00	-7000.00	...	-7000.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
से प्राप्त राशि												
निवल	*18783.03*	*...*	*18783.03*	*19000.00*	*...*	*19000.00*	*17000.00*	*...*	*17000.00*	*12000.00*	*...*	*12000.00*
राष्ट्रीय आजीविका मिशन-आजीविका												
15. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन												
15.01 एनआरएलएम- कार्यक्रम घटक	11083.26	...	11083.26	9494.65	...	9494.65	12266.65	...	12266.65	13244.30	...	13244.30
15.02 एनआरएलएम- ईएपी घटक	452.28	...	452.28	3272.00	...	3272.00	500.00	...	500.00	220.00	...	220.00
15.03 पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1362.52	...	1362.52	1362.52	...	1362.52	1582.70	...	1582.70
जोड़- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	*11535.54*	*...*	*11535.54*	*14129.17*	*...*	*14129.17*	*14129.17*	*...*	*14129.17*	*15047.00*	*...*	*15047.00*
श्यामा प्रसाद मुख़र्जी रुर्बन मिशन												
16. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन	820.66	...	820.66	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)												
17. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - ग्रामीण												
17.01 केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में अंतरण	44962.23	...	44962.23	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17.02 पीएमएवाई- कार्यक्रम घटक	44962.21	...	44962.21	50486.99	...	50486.99	28174.48	...	28174.48	50650.13	...	50650.13
17.03 ईबीआर ऋणों के लिए नाबार्ड को ब्याज भुगतान	...	...	...	4000.00	...	4000.00	3825.52	...	3825.52	3850.00	...	3850.00
17.04 ब्याज सब्सिडी	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
17.05 घटाए-केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से पूरी की गई राशि	-44962.23	...	-44962.23	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*44962.21*	*...*	*44962.21*	*54487.00*	*...*	*54487.00*	*32000.01*	*...*	*32000.01*	*54500.14*	*...*	*54500.14*
18. कृषि अवसंरचना और विकास कोष को अतिरिक्त अंतरण	...	...	...	...	...	...	12000.00	...	12000.00	...	...	...
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	**176558.64**	**...**	**176558.64**	**157252.49**	**...**	**157252.49**	**170781.18**	**...**	**170781.18**	**177199.14**	**...**	**177199.14**
कुल जोड़	***176837.39***	***...***	***176837.39***	***157541.48***	***3.52***	***157545.00***	***171065.82***	***3.64***	***171069.46***	***177562.05***	***4.14***	***177566.19***
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. आवासन	3834.93	...	3834.93	4069.49	...	4069.49	3890.00	...	3890.00	3919.48	...	3919.48
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2.96	...	2.96	21.23	...	21.23	61.22	...	61.22	25.33	...	25.33
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**3837.89**	**...**	**3837.89**	**4090.72**	**...**	**4090.72**	**3951.22**	**...**	**3951.22**	**3944.81**	**...**	**3944.81**
आर्थिक सेवाएं												
3. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2943.58	...	2943.58	3910.64	...	3910.64	3910.64	...	3910.64	3124.13	...	3124.13
4. ग्रामीण रोजगार	90805.93	...	90805.93	60000.00	...	60000.00	86000.00	...	86000.00	86000.00	...	86000.00
5. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	209.63	...	209.63	140.47	...	140.47	179.64	...	179.64	246.53	...	246.53
6. सड़क और पुल	166.08	...	166.08	258.02	...	258.02	12115.52	...	12115.52	201.08	...	201.08
7. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	85.52	...	85.52	60.50	...	60.50	93.26	...	93.26	101.54	...	101.54
8. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	3.52	3.52	...	3.64	3.64	...	4.14	4.14

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**94210.74**	**...**	**94210.74**	**64369.63**	**3.52**	**64373.15**	**102299.06**	**3.64**	**102302.70**	**89673.28**	**4.14**	**89677.42**
अन्य												
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	9257.08	...	9257.08	9280.77	...	9280.77	9405.40	...	9405.40
10. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	76835.99	...	76835.99	77029.71	...	77029.71	52171.97	...	52171.97	72357.50	...	72357.50
11. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	1952.77	...	1952.77	2794.34	...	2794.34	3362.80	...	3362.80	2181.06	...	2181.06
जोड़-अन्य	**78788.76**	**...**	**78788.76**	**89081.13**	**...**	**89081.13**	**64815.54**	**...**	**64815.54**	**83943.96**	**...**	**83943.96**
कुल जोड़	**176837.39**	**...**	**176837.39**	**157541.48**	**3.52**	**157545.00**	**171065.82**	**3.64**	**171069.46**	**177562.05**	**4.14**	**177566.19**

टिप्पणी: ब.अ. 2024-25 में मांग के लिए कुल निवल आवंटन 1,84,566.19 करोड़ रू. (1,77,566.19 करोड़ रू. और 7,000 करोड़ रू.) । ब.अ. 2024-25 में अतिरिक्त 7,000 करोड़ रू. पीएम ग्राम सड़क योजना के वित्तपोषण हेत कृषि अवसंरचना और विकास निधि के शेष से पूरा किया जाना है।

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

2. **ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता एवं जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण:** ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और प्रशिक्षण गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं, जागरूकता सृजन (आईईसी), निगरानी तंत्र को मजबूत करने, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रबंधन सहायता के प्रावधान शामिल हैं।

3. **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान:** राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भारत में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण और शोध का एक शीर्ष संस्थान है। एनआईआरडी का मुख्य सरोकार विकासात्मक मुद्दों के संबंध में पाठ्यक्रम चलाने के अलावा ग्रामीण विकास और पंचायती राज कार्यकर्ताओं के लिए निगरानी और आंतरिक लेखा परीक्षा में क्षमता निर्माण करना है। वित्त वर्ष 2020-21 से इसे अन्य केन्द्रीय व्यय के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

4. **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद:** राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भारत में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण और शोध का एक शीर्ष संस्थान है। एनआईआरडी का मुख्य सरोकार विकासात्मक मुद्दों के संबंध में पाठ्यक्रम चलाने के अलावा ग्रामीण विकास और पंचायती राज कार्यकर्ताओं के लिए निगरानी और आंतरिक लेखा परीक्षा में क्षमता निर्माण करना है।

5. **व्यय कटौती के फलस्वरूप समायोजित वसूलियां:** वसूली को व्यय में कमी में समायोजित किया गया

10.01. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएवीएस):** योजना के अंतर्गत 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। रुपये की केंद्रीय सहायता. 60-79 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 200/- रुपए प्रति माह प्रदान किया जाता है। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रति माह 500/- रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

10.02. **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना:** इस योजना के तहत एक बीपीएल परिवार 18 से 59 वर्ष की आयु के प्राथमिक कमाने वाले की मृत्यु पर एकमुश्त सहायता का हकदार है। सहायता राशि 20,000/- रुपए है।

10.03. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूवीएस):** योजना के तहत 40-79 वर्ष की आयु वर्ग की और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवाओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार 300/- रुपये प्रति माह की दर से केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, पेंशन की राशि बढ़ाकर रु. 500/- प्रति माह.

10.04. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना (आईजीएनडीवीएस):** योजना के तहत गंभीर या एकाधिक विकलांगता वाले 18-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार से संबंधित व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार 300/- रुपये प्रति माह की दर से केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, पेंशन की प्रति माह राशि बढ़ाकर 500/- रुपए कर दी जाती है।

10.05. **अन्नपूर्णा योजना:** योजना के तहत, उन वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया जाता है, जो पात्र होते हुए भी वृद्धावस्था पेंशन नहीं प्राप्त कर रहे हैं।

10.06. **प्रशासनिक व्यय:** वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की योजनाओं के लिए 20.11 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है।

12. **मनरेगा- कार्यक्रम घटक:** वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के लिए 86,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन है। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के अनुसार, किए गए कार्य के 15 दिनों के भीतर 100 प्रतिशत दिहाड़ी का भुगतान करने का दायित्व केंद्र सरकार का है।

14. **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना:** 2000 में शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का उद्देश्य निर्दिष्ट जनसंख्या साइज (2001 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक, पूर्वोत्तर, पहाड़ी, जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 से अधिक, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 100-239 जनसंख्या साइज) की सभी पात्र बस्तियों में हरेक मौसम में चलने वाली सड़क कनेक्टिविटी की व्यवस्था करना है। यह ग्रामीण भारत में सबसे सफल पहल में से एक है। अपने शुरुआत से 30 सितंबर, 2023 तक, योजना के तहत कवरेज के लिए अभिज्ञात 250 से अधिक और 500 से अधिक जनसंख्या साइज की कुल 178,184 पात्र बस्तियों में से 1,72,603 बस्तियों को पहले ही जोड़ा जा चुका है, जिसमें 16086 बस्तियों को राज्यों द्वारा अपने संसाधनों का उपयोग करके जोड़ा गया है। 4867 बस्तियों को हटा दिया गया है या व्यवहार्य नहीं पाया गया है और केवल 714 बस्तियों को जोड़ा जाना बाकी है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 100-249 जनसंख्या श्रेणी की बस्तियों में, कुल स्वीकृत 6245 बस्तियों में से 6016 बस्तियों को जोड़ा गया है और 6 जनवरी 2024 की स्थिति के अनुसार केवल 226 बस्तियों को जोड़ा जाना बाकी है।

बाद में, ग्रामीण सड़कों के उन्नयन और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में कार्यनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए पीएमजीएसवाई के दायरे में पीएमजीएसवाई-II, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क कनेक्टिविटी परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) और पीएमजीएसवाई-III जैसे नए हस्तक्षेप कार्यक्षेत्र जोड़े गए।

अपनी स्थापना के बाद से 6 जनवरी, 2024 तक, पीएमजीएसवाई के विभिन्न हस्तक्षेपों/कार्यक्षेत्रों के तहत कुल 8,15,072 किलोमीटर लंबी सड़क स्वीकृत की गई है और 7,51,163 किलोमीटर लंबाई की सड़क बनाई गई है।

योजना का वित्त पोषण: पीएमजीएसवाई को 100 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। हालांकि, बाद में केंद्र प्रायोजित योजनाओं को तर्कसंगत बनाने पर मुख्यमंत्री के उप समूह की सिफारिश के आधार पर पीएमजीएसवाई के फंड शेयरिंग पैटर्न को उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों, जिन राज्यों के लिए यह 2015-16 से 90-10 है, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच 60-40 के अनुपात में बदल दिया गया था।

समय अवधि: पीएमजीएसवाई-I को शुरू में मार्च 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। पीएमजीएसवाई-II और आरसीपीएलडब्ल्यूईए को मार्च 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। हालाँकि इन कार्यक्षेत्रों को विभिन्न कारणों जैसे कि भूमि मुद्दे, वन मंजूरी मुद्दे, कानून और व्यवस्था से संबंधित मुद्दे, विशेषकर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में, राज्यों की कॉन्ट्रैक्टिंग क्षमता, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों जैसे कुछ राज्यों में दुष्कर भूभाग आदि के कारण लक्षित समय सीमा के भीतर पूरा नहीं किया जा सका। तदनुसार इन कार्यक्षेत्रों की समय सीमा मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है। सभी राज्यों ने आश्वासन दिया है कि वे अपने शेष कार्यों को विस्तारित समयावधि के भीतर पूरा कर देंगे। आरसीपीएलडब्ल्यूईए के संबंध में, छत्तीसगढ़ ने कहा है कि कुछ कार्य जो वर्ष 2001 में स्वीकृत किए गए हैं, विस्तारित समय-सीमा तक पूरे नहीं हो सकते हैं। हालाँकि समीक्षा बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं और गृह मंत्रालय ने सुरक्षा दृष्टिकोण से गत्यावरोध की समीक्षा करने के लिए माननीय गृह मंत्री के स्तर पर भी समीक्षा बैठकें आयोजित की हैं।

बजटीय अपेकक्षाएं: जहां तक वित्तपोषण का प्रश्न है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पीएमजीएसवाई की समय सीमा बढ़ाते हुए वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 तक योजना के सभी कार्यक्षेत्रों को पूरा करने के लिए 1,12,419 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में 75,670 करोड़ रुपये और राज्य हिस्सेदारी के रूप में 36,749 करोड़ रुपये) के पूंजीगत परिव्यय को मंजूरी दी थी। इसके सापेक्ष केंद्रीय हिस्सेदारी से 41,072.1565 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है। सीसीईए नोट के अनुसार वार्षिक बजटीय आवंटन वर्ष 2025 तक 15000 करोड़ रु. से लेकर 19,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के बीच होने का अनुमान लगाया गया था। वर्ष 2024-25 तक की शेष अवधि, योजना के तहत परियोजनाओं के लिए राज्यों से निधियों की मांग और पिछले वर्ष के 19,000 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के पूरी तरह उपयोग में लाए जाने को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2024-25 के लिए भी समान स्तर पर बजट आबंटन की व्यवस्था की जा रही है।

भारत सरकार ने जनजातीय लोगों में से सबसे अरक्षित तबकों के विकास एवं कल्याण के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) योजना शुरू की है। तदनुसार, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत पीएम-जनमन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निधियों की केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में संशोधित अनुमान 2023-24 में 63 करोड़ रुपए और बजट अनुमान 2024-25 में 1260 करोड़ रुपए का पूर्ण समर्पित प्रावधान किया है।

15. **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन:** दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) जून 2011 में शुरू की गई थी। डीएवाई-एनआरएलएम का उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना और उन्हें तब तक निरन्तर वित्तपोषित करना और सहयोग प्रदान करना जब तक कि वे एक निश्चित समयावधि में अपनी आय में पर्याप्त वृद्धि करके और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके घोर गरीबी से बाहर न आ जाएं। डेएवाई-एनआरएलएम में चरणबद्ध तरीके से सभी ग्रामीण गरीब महिलाओं जिनकी अनुमानित संख्या 10.0 करोड़ है, तक पहुंचने का प्रयास निहित है। इस कार्यक्रम के तहत मुख्य वित्तीय सहायता स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और उनके संघों को उनकी आजीविका गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदान की जाने वाली रिवॉल्विंग फंड (आरएफ) और सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) के रूप में है। डीएवाई-एनआरएलएम में महिला एसएचजी को बैंकों से प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर 3.00 लाख रुपये तक के ऋण के लाभ के रूप में ब्याज सहायता भी प्रावधान है। इसके अलावा, महिला एसएचजी तद्संबंधी ऋणदाता बैंकों के 1 वर्षीय एमसीएलआर (निधियों की उपांतिक लागत आधारित उधार दर) के बराबर ब्याज दर पर 3 लाख रुपए से ऊपर और 5 लाख रुपये तक के ऋणों का लाभ उठा सकती हैं।

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) डीएवाई-एनआरएलएम की उपयोजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य गरीबों की मौजूदा कृषि आधारित आजीविका को मजबूत करना और कृषि में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और उनकी उत्पादकता में सुधार करना है।

स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) के अंतर्गत गैर-कृषि क्षेत्र में छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और उनके परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान की जाती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमों को समर्थन देने के लिए एक इको-सिस्टम स्थापित करके किया जाता है।

गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) स्थापित किए जा रहे हैं।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का एक हिस्सा है, जिसे ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विविधता जोड़ने और ग्रामीण युवाओं की कैरियर आकांक्षाओं को पूरा करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ काम सौंपा गया है। डीडीयू-जीकेवाई 15 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए एक प्लेसमेंट से जुड़ी कौशल विकास योजना है।

यह अभियान वर्ष 2019-20 से एसएचजी के संघो के सुदृढ़ीकरण, डिजिटल वित्त प्रदान करने और कृषिगत और गैर-कृषिगत दोनों क्षेत्रों में आजीविका की उच्चतर स्तर की गतिविधियां शुरू करने जैसे क्षेत्रों में उच्च स्तर के क्रियाकलापों के लिए मिशन की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विश्व बैंक से ऋण सहायता (आईबीआरडी क्रेडिट) के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (एनआरईटीपी) को भी कार्यान्वित कर रहा है।

17. **प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - ग्रामीण:** प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाईजी) का लक्ष्य अभिसरण के माध्यम से सभी वास्तविक गरीब परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के घर उपलब्ध कराकर सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करना है। वित्त वर्ष 2023-24 तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र अधिदेश के रूप में आवंटित किए गए कुल 2.95 करोड़ घरों के सापेक्ष लाभार्थियों को 2.94 करोड़ घर संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 2.54 करोड़ घर पूरे हो गए हैं। यह अपनी तरह का ऐसा पहला कार्यक्रम है जिसमें सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना-2011 के अनुसार आवास अभाव मापदंडों के आधार पर वास्तविक लाभार्थियों की पहचान की जाती है, इसके बाद ग्राम सभा स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया की जाती है और वास्तविकता की पुष्टि करने के लिए लाभार्थियों की जियो-टैगिंग की जाती है।

i. वर्तमान में, लाभार्थी परिवारों को मैदानी क्षेत्रों में 1.2 लाख रुपये और आईएपी जिलों/पहाड़ी/उत्तर पूर्वी राज्यों में 1.3 लाख रुपये की इकाई सहायता प्रदान की जा रही है। हालाँकि यूनिट सहायता को बढ़ाकर वित्त वर्ष 2024-25 से मैदानी क्षेत्रों में 2 लाख रुपए और आईएपी जिलों/पहाड़ी/उत्तर पूर्वी राज्यों और कठिन क्षेत्रों में 2.20 लाख रुपये कर दी गई है जिसमें 2.00 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

ii. अनुमानित वित्तीय आवश्यकताएं: 2.0 करोड़ घरों के निर्माण के लिए प्रति घर 2.05 लाख रुपए की औसत इकाई सहायता के हिसाब से लगभग 4,18,200 करोड़ रुपए (2% एडमिन फंड सहित) का अस्थायी वित्तीय प्रावधान बनता है जिसका विवरण इस प्रकार है: (क) केंद्रीय हिस्सा - 2,63,466 करोड़ रुपए (कुल लागत का 63%) और (ख) राज्यों का हिस्सा 1,54,734 करोड़ रुपए (कुल लागत का 37%)।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएमएवाई-जी का बजट अनुमान 54500.14 करोड़ रुपये है।

भारत सरकार ने जनजातीय लोगों में सर्वाधिक कमजोर वर्गों के विकास और कल्याण के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) नामक स्कीम शुरू की है। तदनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत पीएम-जनमन के कारगर कार्यान्वयन के लिए निधियों के केंद्रीय हिस्से के रूप में संशोधित अनुमान 2023-24 में 630.05 करोड़ रुपए और बजट अनुमान 2024-25 में 3434.96 करोड़ रुपए की राशि का पूर्ण समर्पित प्रावधान किया गया है।